



छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, रायपुर
शंकर नगर मार्ग, रायपुर (छ.ग.)

दूरभाष 0771-2439564, फ़ैक्स-0771-2331525, 2446556 वेबसाईट : www.psc.cg.gov.in

क्रमांक 1349/17/2019/प.गो.

रायपुर, दिनांक 17-03-2020

—:: विज्ञप्ति ::—

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के विज्ञापन क्रमांक 05/2019/परीक्षा/दिनांक 02.03.2019 प्रकाशन की तिथि 06.03.2019 तथा शुद्धि पत्र क्रमांक 10/2019/परीक्षा/दिनांक 23.07.2019 द्वारा उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत क्रीडा अधिकारी के कुल-61 पद विज्ञापित किए गए थे। उक्त पद हेतु दिनांक 26 नवम्बर 2019 को ऑनलाईन परीक्षा आयोजित की गई थी।

क्रीडा अधिकारी (उच्च शिक्षा विभाग) परीक्षा-2019 के विज्ञापित पद का 03 गुना अर्थात् 183 अभ्यर्थियों का वर्गवार/उपवर्गवार साक्षात्कार हेतु चिन्हांकन जाना था, परंतु अर्ह अभ्यर्थियों की अनुपलब्धता के कारण कुल-98 अभ्यर्थी वर्गवार/उपवर्गवार चिन्हांकित हुए।

उक्त परीक्षा हेतु साक्षात्कार तिथि, समय-सारिणी/विस्तृत सूचना आयोग की वेबसाईट पर पृथक से जारी की जाएगी।

उक्त परीक्षा के लिखित परीक्षा परिणाम आयोग की अधिकृत वेबसाईट www.psc.cg.gov.in पर जारी (अपलोड) कर दिए गए हैं।

S. S. S. 17.3.2020
परीक्षा नियंत्रक

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग,
रायपुर



छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, रायपुर
शंकर नगर मार्ग, रायपुर (छ.ग.)

दूरभाष 0771-2439564, फ़ैक्स-0771-2331525, 2446556 वेबसाइट : www.psc.cg.gov.in

क्रमांक 1348 / 17 / 2019 / प.गो.

रायपुर, दिनांक 17-03-2020

लिखित परीक्षा परिणाम

क्रीडा अधिकारी (उच्च शिक्षा विभाग) परीक्षा-2019

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के विज्ञापन क्रमांक 05/2019/परीक्षा/दिनांक 02.03.2019 प्रकाशन की तिथि 06.03.2019 तथा शुद्धि पत्र क्रमांक 10/2019/परीक्षा/दिनांक 23.07.2019 द्वारा उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत क्रीडा अधिकारी के कुल-61 पद विज्ञापित किए गए थे। उक्त पद हेतु दिनांक 26 नवम्बर 2019 को आयोजित ऑनलाईन परीक्षा के प्राप्तांकों व अर्ह अभ्यर्थियों की उपलब्धता के आधार पर कुल-98 अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु चिन्हांकित किया गया है, जिनके अनुक्रमांक बढ़ते क्रम में निम्नानुसार हैं:-

1905200007	1905200016	1905200020	1905200021	1905200025	1905200026
1905200027	1905200028	1905200029	1905200032	1905200034	1905200036
1905200037	1905200039	1905200040	1905200046	1905200047	1905200050
1905200059	1905200069	1905200072	1905200077	1905200079	1905200080
1905200086	1905200087	1905200092	1905200093	1905200100	1905200106
1905200109	1905200113	1905200120	1905200127	1905200130	1905200131
1905200132	1905200135	1905200137	1905200141	1905200144	1905200145
1905200148	1905200152	1905200157	1905200159	1905200166	1905200169
1905200171	1905200174	1905200175	1905200176	1905200178	1905200179
1905200181	1905200184	1905200186	1905200196	1905200201	1905200202
1905200206	1905200209	1905200223	1905200224	1905200229	1905200230
1905200231	1905200242	1905200249	1905200251	1905200258	1905200271
1905200272	1905200274	1905200275	1905200277	1905200278	1905200280
1905200281	1905200285	1905200291	1905200292	1905200298	1905200302
1905200303	1905200305	1905200313	1905200318	1905200320	1905200321
1905200322	1905200328	1905200329	1905200330	1905200335	1905200337
1905200338	1905200339	X	X	X	X

Total:-98

टीप:-

- क्रीडा अधिकारी (उच्च शिक्षा विभाग) परीक्षा-2019 हेतु आयोजित लिखित परीक्षा के आधार पर साक्षात्कार हेतु उपर्युक्तानुसार चिन्हांकित अभ्यर्थियों की अर्हता छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के विज्ञापन क्रमांक 05/2019/परीक्षा/दिनांक 02.03.2019 प्रकाशन की तिथि 06.03.2019 तथा शुद्धि पत्र क्रमांक 10/2019/परीक्षा/दिनांक 23.07.2019 की समस्त कंडिकाओं में वर्णित प्रावधानों तथा छत्तीसगढ़ शासन के विद्यमान नियमों के अधीन होगी।

Om

2b



2. किसी वर्ग अथवा उपवर्ग में चिन्हांकित अंतिम अभ्यर्थी के समान प्राप्तांक वाले अभ्यर्थी भी साक्षात्कार हेतु चिन्हांकित किए जाते हैं।
3. साक्षात्कार हेतु उक्त अभ्यर्थियों का चिन्हांकन पूर्णतः प्रावधिक है। विज्ञापन की कंडिका-05 के अनुरूप चिन्हांकन/चयन के किसी भी स्तर पर किसी भी अभ्यर्थी को अयोग्य पाए जाने पर आयोग द्वारा अनर्ह घोषित कर चिन्हांकन/चयन प्रक्रिया से पृथक किया जा सकता है।
4. क्रीडा अधिकारी (उच्च शिक्षा विभाग) परीक्षा-2019 के साक्षात्कार तिथि, समय-सारिणी/विस्तृत सूचना आयोग की वेबसाईट पर पृथक से जारी की जाएगी।
5. उक्त परीक्षा के साक्षात्कार हेतु चिन्हांकित अभ्यर्थियों के साथ-साथ लिखित परीक्षा में सम्मिलित अथवा लिखित परीक्षा हेतु आवेदन प्रस्तुत करने वाले अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे आयोग की वेबसाईट का नियमित अवलोकन करते रहे।
6. उपर्युक्तानुसार घोषित लिखित परीक्षा परिणाम में अंकण/टंकण/मुद्रण/प्रक्रिया संबंधी त्रुटि होने पर आयोग में संधारित मूल डाटा के आधार पर तैयार सूची ही मान्य होगी एवं तदनुसार लिखित परीक्षा परिणाम संशोधित किया जा सकेगा।

(छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा अनुमोदित)

[Signature] 17.3.2020
परीक्षा नियंत्रक

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग,
[Signature] रायपुर